



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार)

14, बी.टी.एम सरणी (ब्रेबोर्न रोड), कोलकाता- 700 001

वेबसाइट: www.teaboard.gov.in

फोन नं. +91 33 2237 1161

संदर्भ सं12(17)/एलसी/2008/पार्ट-III/

दिनांक 04.04.2022

शुद्धि पत्र

विषय: नई विनिर्माण इकाई की स्थापना एवं मौजूदा इकाई की क्षमता वृद्धि के लिए नई त्वरित योजना के दिशानिर्देश

नई विनिर्माण इकाई की स्थापना और मौजूदा इकाई की क्षमता वृद्धि के लिए नई त्वरित योजना दिशानिर्देश के संबंध में कृपया कार्यालय अधिसूचना संख्या12(17)/एलसी/2008/भाग-III/दिनांक 04 जनवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में नई त्वरित योजना दिशानिर्देश के बिन्दु सं 'जी', , कृपया इस रूप में पढ़ा जाएगा "बोर्ड मेसर्स गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्यूसीएल), सिलीगुड़ी, एक एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में एफएसएसआई मानदंडों के अनुपालन के परीक्षण के लिए प्रत्येक विनिर्माण इकाई से तिमाही आधार पर (एक इकाई के लिए एक वर्ष में कम से कम 4 नमूने) चाय के नमूने एकत्र करेगा।" परीक्षण के लिए भुगतान बोर्ड के परिपत्र सं.12(26)/एलसी/2013/7111 दिनांक 16.08.2016 के अनुसार लिया जाएगा।

दिनांक 4 जनवरी, 2022 के दिशानिर्देश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

रजनीगंधा सील नस्कर

(रजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक